सत्यमेव जयते

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग,
कार्यालय प्र० महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी) , पंजाब एवं यू.टी.
प्लाट संख्या-20, सेक्टर -17ई , चंडीगढ़-160017.
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT,
Office of the Pr. Accountant General (A&E), Punjab,
Plot No.20,Sector 17-E, Chandigarh - 160 017
क्रमांक :CRT-I/अंकुर Printing/2021-22/ 759-767
दिनांक :Dated: 13/01/2022

सेवा मे,

सूची के अनुसार।
....
....
....
....

विषय: अंकुर पत्रिका के 118वें–121वें अंक के भौतिक प्रतियों (Hard Copies) एवं नर्म प्रति (Soft Copy)-Pdf के प्रकाशन हेतु कोटेशन/दरों की मांग के सन्दर्भ में

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा अंकुर पत्रिका के उपरोक्त संयुक्तांक हेतु 125 भौतिक प्रतियों (Hard Copies) एवं नर्म प्रति (Soft Copy) की pdf फॉर्मेट का प्रकाशन करवाया जाना है तथा इस हेतु आपसे सीलबंद लिफाफे में Quotation आमंत्रित किया जाता है। दोनों फॉर्मेट हेतु दरें अलग-अलग दी जानी चाहिए।

पत्रिका के प्रकाशन हेतु ***सीलबंद*** लिफाफे में कोटेशन/दरों को इस कार्यालय के भूतल पर स्थित ***वरिष्ठ लेखा अधिकारी (CRT-1 अनुभाग), कार्यालय प्र० महालेखाकार (लेखा एवं ह०), Plot-20, sector-17E*** के पास दिनांक:- ***19/01/2022*** को ***03:00 Pm*** तक जमा कर दे जिसे अगले दिन सुबह 11:00 am पर इस कार्य की निगरानी हेतु गठित त्रि-सदस्यीय समिति के समक्ष ही खोला जाएगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा। निर्धारित ***विवरण*** निम्नलिखित है:-

Sr. No.	Specification of Booklet	Volume
1.	Photo typesetting & Offset Printing of "Ankur Magazine" Containing **52+4 = 56 Pages** in multicolor printing on ***170 gsm*** super Printing paper + M/c Title on 300 gsm art card in size 8.5"x 11"	125 Copies

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त पत्रिका के प्रकाशन हेतु सीलबंद लिफाफे में कोटेशन/दरों को उपरोक्त दिवस एवं समय तक जरुर पहुंचा दे। इस समय के *पश्चात* जमा किये गए कोटेशन/दरों *मान्य नही* होंगे एवं *अस्वीकृत* कर दिए जाएँगे। कृपया कोटेशन/दरों को जमा करने से पूर्व *नियम एवं शर्तों* का अवलोकन जरुर कर लें जो साथ में ही संलग्न है।

--हस्ता/--

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सी० आर० टी)

निविदा के नियम एवं शर्तें

1. पत्रिका का प्रकाशन निर्धारित SPECIFICATION एवं दिए गए विवरणानुसार होना चाहिए । यदि ऐसा नहीं होता है तो कार्यवाही करते हुए कुल लागत का 5% या जो भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाये उतना जुर्माना लगाया जाएगा ।
2. प्रकाशन खर्च का भुगतान पत्रिका के सफलतापूर्वक प्रकाशन एवं समस्त कापियों की प्राप्ति के पश्चात CHEQUE के माध्यम से किया जायेगा । फर्म/वेंडर को यह भी सूचित किया जाता है कि बजट की उपलब्धता होने पर ही तत्काल भुगतान किया जाएगा । यदि बजट उपलब्ध ना हो तो बजट आवंटन होने तक का विलम्ब भुगतान में हो सकता है जिसकी पूर्व सूचना टेलीफोन द्वारा प्रदान की जाएगी ।
3. डिजाइनिंग कार्य हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।
4. *Manuscript / Publication Material* (प्रकाशन सामग्री) देने के 10 दिनों के भीतर ही पत्रिका के समस्त प्रतियों की डिलीवरी देनी होगी । ऐसा ना करने पर प्रतिदिन रुपये 500/- (रुपये पांच सौ मात्र) की दर से जुर्माना देय होगा ।
5. *यह भी निर्देशित किया जाता है कि Manuscript / Publication Material* (प्रकाशन सामग्री) मिलने के पश्चात " प्रूफ रीडिंग " हिंदी अनुभाग से कराने के बाद ही पत्रिका की समस्त प्रतियाँ प्रकाशित की जाये । पत्रिका का सैंपल चेक करने हेतु कोटेशन जमा करने से पूर्व कभी भी इस कार्यालय में आ कर हिंदी अनुभाग में देखा जा सकता है ।
6. यदि पत्रिका में किसी भी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो उसे बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के निर्धारित दिन एवं समय पर पुनः प्रकाशित करके देना होगा और संपूर्ण खर्च प्रकाशक को ही वहन करना पड़ेगा ।
7. प्रकाशन हेतु जिस पृष्ठ सामग्री का उपयोग किया जाना है उसी Quality के होने चाहिए । अलग स्तर के मैटेरियल स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।
8. यदि प्रकाशन कार्य संपन्न न हुआ हो तो इस इस कार्यालय द्वारा कोई भी वांछित बदलाव हेतु निर्देश दिए जा सकते है
9. मै उपरोक्त क्रम 1 से 08 तक सभी शर्तों से सहमत हूँ ।

बोलीकर्ता की मुहर एवं हस्ताक्षर